भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 39B/2018–19

1.सुरेन्द्र महतो 2. दुर्गाचरण महतो 3. आरती देवी **बनाम** अमिता महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
13-07-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 893 दिनांक 06.06.2018 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 39B/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता सुरेन्द्र महतो एवं दुर्गा चरण महतो पिता स्व0 लाल मोहन तथा मो0 आरती देवी पति स्व0 शैलेन्द्र महतो, ग्राम–मानिकबाजार, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता श्रीमति अमिता महतो, पति श्री भक्तु महतो, ग्राम–मानिकबाजार, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला –खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
मानिकबाजार	286	04	474/अं0	0.06ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता नं0–1 एवं 2 के पिता एवं विक्रेता नं0–3 के ससुर के नाम से पंजी कायम है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। जिसमें से 0.06 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् प्रति अंशदार 4.11 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.06एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

13/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

28.4.2018